

राजनीतिक स्थिति

अब तक राजी समुदाय के लगभग सात लोग पंचायत चुनाव 2014-2019 के बीच वार्ड सदस्य और एक प्रधान के तहत चुने गए हैं। इस समुदाय से एक व्यक्ति विधायक चुना गया है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों की बैठकों तथा अन्य सामाजिक मंचों पर उनकी भागीदारी बहुत कम होती है।

सुझाव

अर्पण संस्था के सर्वेक्षण के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर राजी जनजाति के सशक्तिकरण के लिये कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु पर सुझाव दिये जाते हैं। :-

- राजी लोगों की पी.वी.टी.जी. स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राजी लोगों को ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर सरकार से और अतिरिक्त विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है।
- पी.वी.टी.जी. जनजातियों की समग्र स्थिति में सुधार के लिये सामाजिक बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिये राज्य भर में नीतियां होनी चाहिये।
- कौशल वृद्धि प्रशिक्षण के लिये कृषि उत्पादन में मूल्यवर्धन पर विचार किया जाना चाहिये और राजी गांवों को सिंचाई और मिट्टी उपचार जैसी बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
- ग्रामीण रोजगार योजनाओं को राजी गांवों के मौजूदा, कौशल और विशेष जरूरतों से जोड़ने की जरूरत है।
- उनकी बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा के लिये सरकार द्वारा विशेष प्रावधान प्रदान करने की आवश्यकता है।
- राजी के बच्चों के लिये आंगनबाड़ी केंद्रों, प्रा0 और उच्च शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
- राजी जनजाति के लिये भूमि स्वामित्व, आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी, वन अधिकारों की मान्यता, अधिनियम, 2006 के तहत किये गए प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिये।
- सरकारी विभागों और एजेंसियों को राजी समुदाय के मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिये विशेष सहयोग करना चाहिये।

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें :



एसोसिएशन फॉर रुरल प्लानिंग एंड एक्शन (अर्पण)

Village- Helpiya, PO, Askot, Dist. Pithoragarh, Uttarakhand

Email: arpanaskot@gmail.com

Website : <https://arpanuk.in/>



उत्तराखण्ड की राजी जनजाति मुद्दे और अग्रिम कार्यवाही

रोजा लक्जमबर्ग स्टिफ्टिंग (RLS) के सहयोग से अर्पण द्वारा राजी जनजाति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों को समझने के लिए उनके स्थिति पर एक कार्यवाही-उन्मुख सर्वेक्षण किया गया था। यह फोल्डर उनके सशक्तिकरण के लिए सिफारिशों के साथ-साथ उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित कुछ प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डालता है। ताकि वे एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

वनरौत या राजी जनजाति को 1975 से विशेष रूप से कमजोर जनजातिय समूह (पी.वी.टी.जी.) के रूप में सूचिबद्ध किया गया है। उत्तराखंड के केवल 11 गांवों में राजी जनजाति के केवल 249 परिवार मौजूद हैं (तालिका 1 अंकित है)।

तालिका 1 : उत्तराखंड में राजी जनजाति के ग्राम-वार विवरण (अर्पण सर्वेक्षण, 2022)

क्र० सं०	जिला	ब्लॉक	ग्राम सभा	गांव	राजी जनसंख्या	राजी परिवार
1	पिथौरागढ़	धारचूला	तोली	चिफलतारा	45	16
2			किमखोला	किमखोला	194	40
3				भक्तिर्वा	47	13
4			दूतीबगड़	गाणाबाँव	91	19
5		कनालीछीना	डांगती	कुलेख	46	11
6			जमतड़ी	कंतोली	142	33
7			औलतड़ी	औलतड़ी	39	11
8		डीडीहाट	खेतार	कूटाचौरानी	159	32
9			कन्याल	मदनपुरी	93	22
10	चम्पावत	चम्पावत	पोथ	खिरद्वारी	154	36
11	उधम सिंह नगर	खटीमा	चकरपुर	चकरपुर	65	16
कुल					1075	249

शिक्षा

माध्यमिक विद्यालय से ड्रॉपआउट दर लगभग 75 प्रतिशत है। राजी के केवल 90 प्रतिशत बच्चे ही प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। स्कूल छोड़ने की पीछे मुख्य कारण स्कूलों की दुर्गमता, दूर-दराज के होने से बच्चों को हाई-स्कूल शिक्षा के लिये भेजना महंगा पड़ जाता है। जैसे गाणागांव, चकरपुर और मदनपुरी गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र बहुत दूर स्थित हैं। कंतोली जैसे गांवों में प्राथमिक विद्यालय की स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

तालिका 2 :- गांवों तक बुनियादी सुविधाओं की पहुंच

संस्थान	अधिकतम दूरी	न्यूनतम दूरी
पी0एच0सी	पैदल 11 + सड़क 38 कि०मि० (खिरद्वारी)	500 मीटर (कुलेख)
आंगनवाड़ी केंद्र	पैदल 06 कि०मि० (कूटा)	500 मीटर (कुलेख)
प्रा० विद्यालय	पैदल 05 + सड़क 43 कि०मि० (चिफलतारा)	गांव (मदनपुरी)

स्वास्थ्य

यह राजी समुदाय के लिये प्रमुख मुद्दा है, खासकर पेट से संबंधित बीमारियों, कुपोषण और दुर्घटनाओं के कारण फ्रैक्चर या बड़ी चोटों के लिये। प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य

को प्रभावित करती हैं। कम उम्र में बच्चे पैदा करना, बार-बार गर्भधारण करना, उचित पोषण का न होना और देखभाल की कमी, तथा कड़ी मेहनत महिलाओं के बिगड़ते स्वास्थ्य के प्रमुख कारण हैं। समुदाय में नशाखोरी की लत बढ़ती जा रही है जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी स्वास्थ्य का न होना तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है।

राजी समुदाय के गांवों में मेडिकल स्टाफ का नियमित भ्रमण न करना गंभीर चिंता का विषय है। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के लिये राजी समुदाय मुख्य रूप से अपने पड़ोस के झोलाछाप एवं अप्रशिक्षित डॉक्टरों पर निर्भर रहता है।

आर्थिक स्थिति

राजी जनजाति एक संसाधन और संपत्ति विहीन समुदाय है। उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत दैनिक मजदूरी, पशुपालन और जंगल से ईंधन और चारा संग्रह करना है। इनका अधिकतर कार्य मौसमी होता है। उनकी दैनिक मजदूरी उपलब्धता के आधार पर 250 रु० से 1000 रु० के बीच होती है। लगभग हर परिवार के पास बहुत छोटी जमीन (लगभग 0.05 एकड़) है, जिससे मुश्किल से 2 से 4 माह का अनंज उतपन्न होता है। जलवायु परिवर्तन, वर्षा आधारित खेती, असिंचित भूमि और जंगली जानवरों, जंगल में लगने वाली आग आदि से फसलों का विनाश उनकी कृषि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण हैं। उनकी दैनिक व्यय करने की क्षमता बहुत कम है, इसलिये वे केवल चीनी, चाय पत्ती, खाने का तेल, नमक और चिकित्सा के लिये बाजार पर निर्भर हैं।

भूमि धारण

यह समुदाय भूमिहीन श्रेणी में आता है। उनकी भूमि हिस्सेदारी 0.05 एकड़ से 0.75 एकड़ के बीच है। केवल 20 प्रतिशत के पास सरकारी पट्टा (भूमि-पत्र) है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अब तक केवल 83 परिवारों को पट्टे प्राप्त हुए हैं, उन्हें अभी तक अपनी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं हुआ है। सामुदायिक वन दावों की स्थिति शून्य है। जिस वन भूमि का बैनामा पारित हो चुका है उसे राजस्व भूमि में हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है। आई.एफ.सी और सी.एफ.आर. दाखिल करने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है जैसे खिरद्वारी और चकरपुर। पर्याप्त दस्तावेजों की कमी के कारण एस.डी.एल.सी./डी.एल.सी. द्वारा दावों को खारिज कर दिया गया है।

आवास एवं शौचालय

लगभग 40 प्रतिशत कच्चे घर जो झोपड़ी रूप में हैं, 30 प्रतिशत घर पक्के लैंटर की छत व पत्थर की दीवारों के बने हैं, और 30 प्रतिशत घर अर्ध-पक्के घर लकड़ी, टिन, घास, पोलीथीन की छत व पत्थर व लकड़ी की दीवारों के बने हैं। लगभग 30 प्रतिशत मकान 10 से 12 साल पहले स्वीकृत किये गये थे, जो वर्तमान, में बहुत खराब स्थिति में हैं। लगभग आधे परिवारों के पास शौचालय नहीं है।

सरकारी योजनाओं तक पहुंच

केवल 70 प्रतिशत राजी लोगों के पास अंत्योदय कार्ड हैं, 40 प्रतिशत के पास जॉब कार्ड हैं, और 57 प्रतिशत परिवारों को बकरी/गाय शेड, चूजे, मनरेगा के तहत काम जैसी सरकारी योजनाओं से कुछ न कुछ लाभ मिला है। लगभग 05 प्रतिशत गांव में अभी भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है। 45 प्रतिशत राजी लोगों के पास आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेज नहीं हैं, जिस कारण से सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।